

राष्ट्रपति दिरौपदी मुरमू शहडोल में जनजातीय गौरव दविस सम्मेलन में शामिल हुई

चर्चा में क्यों?

15 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति दिरौपदी मुरमू मध्य प्रदेश के लालपुर, शहडोल में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दविस सम्मेलन में शामिल हुई, जहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश की संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना पुस्तिका का वमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय वर्गों के कल्याण के लिये जिन प्रकल्पों को प्रारंभ किया गया है, वे सभी राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के लिये बनाए गए नए नयिम जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तीकरण एवं जनजातीय वर्ग को उनके अधिकार दिलाने में प्रभावी होंगे।
- इस अवसर पर राष्ट्रपति दिरौपदी मुरमू को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पेसा अधिनियम नयिमावली की प्रथम प्रतिसौपी।
- वदिति है कबिरिसा मुंडा के जन्म-दविस को जनजातीय गौरव दविस के रूप में मनाया जाता है।
- इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि आज से मध्य प्रदेश में लागू किये गए पेसा एक्ट के नए नयिम जनजातीय वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण सदिध होंगे। इन नयिमों के लागू होने से ग्राम सभाएँ बहुत अधिक शक्तीशाली हो जांगी।
- पेसा एक्ट के नए नयिमों के अनुसार जल, ज़मीन और जंगल का प्रबंधन, छोटे-मोटे वविवों का नरिाकरण, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आँगनवाड़ी केंद्रों का नरिीक्षण, वभिनिन योजनाओं की मॉनिटरिंग आदिकार्य ग्राम सभा के हाथ में होंगे।
- मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट के नए नयिमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पटवारी को गाँव, ज़मीन का नकशा, खसरा नकल, गाँव में लाकर ग्राम सभा में दखिाने होंगे, जसिसे रकिॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार होगा।
- कसिी योजना के लिये ज़मीन लेने के लिये ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होगी। कोई भी वयक्ती छल-कपट, धर्मांतरण आदिकर गाँव वालों की ज़मीन नहीं हड़प पाएंगे। यदि ऐसा होता है तो ग्राम सभा को उसे वापस करवाने का अधिकार होगा।
- रेत खदान, गटिी-पत्थर के ठेके देना है या नहीं, यह भी ग्राम सभा तय करेगी। इन्हें पहले जनजातीय समाज सहकारी समिति को दिया जाएगा। तालाबों का प्रबंधन, उनमें मत्स्याखेट, सघिाड़ा उगाने की सहमति ग्राम सभा देगी। ग्राम सभा ही सौ एकड़ सघिाई तालाबों का प्रबंधन, वनोपज का संग्रहण एवं नयूनतम मूल्य नरिधारण करेगी।
- पेसा एक्ट के नए नयिमों के अनुसार जनजातीय क्षेत्र में मनरेगा के पैसे से कौन सा कार्य कराया जाए, यह ग्राम सभा ही तय करेगी। कार्य का मास्टर रोल भी ग्राम सभा देखेगी। यदि ग्राम से मज़दूरों को बाहर ले जाना हो तो पहले ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी। गाँव में बाहर से आने वाले वयक्ती की जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी।
- जनजातीय क्षेत्रों में सरिफ लाइसेंसधारी साहूकार ही नरिधारति ब्याज दर पर पैसा उधार दे पाएंगे। इसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी। अधिक ब्याज लेने पर कार्यवाही होगी। हतिग्राही मूलक योजना में पहले कसिे लाभ मलिे, यह प्राथमकिता ग्राम सभा तय करेगी। बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। कसिी शराब दुकान को हटाने की अनुशंसा ग्राम सभा कर सकेगी। छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा।
- जनजातीय क्षेत्र में कसिी थाने में एफआईआर दर्ज होने पर इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आँगनवाड़ी केंद्र, आश्रम शालाएँ, छात्रावास आदिके नरिीक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। मेला एवं बाज़ार का प्रबंधन भी ग्राम सभा करेगी।
- नए नयिमों को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिये पेसा कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे।